हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए

24/6/19 पत्रावली पेश हुई।

अपीलांट अधिवक्ता उप0। उतरदातागण अनु0।

अपीलांट ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 112 बीघा भूमि मौजा–लीकडी, पटवार मण्डल बालासर, तह0 शिव मे आई हुई है।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 का 1/6 हिस्सा था जिसमे से अपीलान्टगण ने उतरदाता संख्या 2 से 4 को 12.09 बीघा भूमि बैचान की है परन्तु हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण 208 खोलते वक्त उक्त बैचान की गयी 12 बीघा भूमि के बजाय अपीलांट का सम्पूर्ण आराजी से नाम ही हटा दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर उतरदातागण को जरीये सम्मन तलब किये गये। जिस पर उतरदाता संख्या 2 से 5 व 7 की ओर से इकबाली जवाब प्ररतुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर मौजा लीकडी पटवार मण्डल बालासर के खेत खसर नम्बर 12 रकबा 112 बीघा भूमि के संबंध में उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 208 को निरस्त किया जाकर अपीलान्टगण एव हम उतरदाता संख्या 2 से 5 व 7 के वास्तविक हिस्से की जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण किया जाता है तो हम उतरदाता संख्या 2 से 5 व 7 को कोई आपत्ती नहीं है। तथा उतरदाता संख्या 1 व 6 के नोटिस तामिल बावजूद कोई उपस्थित नही होने से अपीलाण्टगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अपीलाण्ट की और से प्रस्तुत रजिस्ट्री पत्र की प्रति का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि अपीलाधीन आराजी में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा की 36 बीघा भूमि में से उतरदाता संख्या 2 से 4 को केवल 12.09 बीघा का ही बैचान पत्र निशपादित किया हैं। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर संरपच ग्राम पंचायत बालसर द्वारा पारित नामान्तरकरण 208 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शिव को प्रति प्रेषित किया जाना उचित है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौजा लीकडी तह0 शिव के नामान्तरकण संख्या 208 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत बालासर के आदेश निरस्त किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार शिव को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षो को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से प्रकरण का निस्तारण करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested